राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

42वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2012 के कार्य बिन्दु

कार्य बिंदु संख्या - 1

i) मा. वित्त मंत्री जी ने कहा कि पहाडी जिलों का ऋण जमा अनुपात बहुत कम है और प्रत्येक एस.एल.बी.सी. की बैठको में इसे बढाने हेतु चर्चा की जाती रही है परन्तु इस दिशा में सम्भावित प्रगति नहीं हो रही हैं। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति में रणनीति बनाकर सी.डी. रेश्यो बढ़ाने हेतु संबंधित विभाग एवं बैंकों द्वारा लागू करने हेतु उन्हें उपलब्ध कराएं और त्रैमासिक अंतराल पर प्रगति की समीक्षा की जाए।

ii) दिनांक 25 मई, 2012 को गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकों के उच्चाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अल्मोड़ा, चम्पावत, पौड़ी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिलों का वर्ष 2012-13 के वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को संशोधित (10 प्रतिशत) कर, तदनुसार कार्रवाई की जाए।

(कार्रवाई --सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)

कार्य बिंदु 2

i) मा. वित्त मंत्री जी ने कृषि विभाग को पुन: निर्देशित किया कि वह जिला के सभी पात्र कृषकों की ब्लाकवार सूची (साफ्ट कापी) सम्बन्धित अग्रणी प्रबन्धक को उपलब्ध कराएं ताकि बैंको द्वारा उन्हें के0सी0सी0 जारी करवाये जा सके।

ii) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा गठित कार्यदल की संस्तुतियों के अनुरुप सभी बैंक संशोधित किसान क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत सभी बैंक " स्मॉर्ट कार्ड सह डेबिट कार्ड " जारी करें, जिससे कि कृषक अपने के0सी0सी0 लिमिट के अनुसार ए.टी.एम. से धनराशि निकाल सकें।

(कार्रवाई निदेशक (कृषि) / मुख्य राजस्व अधिकारी / सभी बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 3

i) अध्यक्ष महोदय ने ग्राम्य विकास एवं उद्योग विभाग को निर्देशित किया कि वह आर-सेटी स्थापित करने हेतु उत्तरकाशी, नैनीताल एवं चम्पावत में शीघ्र भूमि उपलब्ध करायें। पिथौरागढ़ जिले के लिए पुन: दूसरी स्थान पर चयनित की गई भूमि को उद्योग विभाग द्वारा आरसेटी के नाम हस्तांतरित करना प्रतीक्षित है।

ii) महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशित किया कि आरसेटी में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान कर, सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहयोग किया जाना चाहिए। इस हेतु निदेशक (आरसेटी), प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीणों/व्यक्तियों के संपूर्ण विवरण की सूची संबंधित बैंकों को अग्रेषित करें।

(कार्रवाई --ग्रामीण विकास विभाग / उद्योग विभाग / अग्रणी जिला प्रबंधक / निदेशक आरसेटी / सभी बैंक)

कार्य बिंदु संख्या 4

ii) सचिव (वित्त) ने सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि वह केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा पोषित विकास योजनाओं से सम्बन्धित अनुदान राशियों को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में **ऑन-लाईन** ट्रान्सफर करने की कार्रवाई करें।

ii) केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सभी राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों को 31 मार्च, 2013 तक अनिवार्य रुप से कम्प्यूट्रीकरण कर, **कोर बैंकिंग सोल्यूशन पद्धति** पर कार्य करना होगा।

(कार्रवाई सहकारिता विभाग / सहकारी बैंक)

कार्य बिंदु संख्या 5

नाबार्ड ने अवगत कराया है कि भारत सरकार की बुनकरों हेतु " ऋण माफी योजना " को लागू करने में उत्तराखंड राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। इस योजना में ऋण माफ किए गए बुनकरों को बैंकों द्वारा पुन: रु 50,000/ के नए ऋण दिए जा सकते है, जिस पर

नाबार्ड के माध्यम से रु 4200/ और अर्जित ब्याज पर 3 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रावधान है।

(कार्रवाई बैंक / नाबार्ड)

कार्य बिन्दु - 6

i) भारतीय रिजर्व बैंक ने राजय सरकार से अनुरोध किया है कि बैंकों द्वारा ग्रामीणों को ₹ 1 लाख से अधिक के ऋण प्रदान करने हेतु उनके भूमि प्रलेख पर " ऑन लाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज " (**On- line creation of charge)** का अधिकार, बैंकों को दिए जाने की व्यवस्था करें क्योंकि उत्तराखंड राज्य के भूमि प्रलेख तहसील / सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में कम्प्यूट्रीकृत है।

ii) इसी क्रम में बैंकों द्वारा जारी किए गए " वसूली प्रमाण पत्र " को भी राज्य सरकार / जिला के Website Portal पर " ऑन लाइन फाइलिंग " करने की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

(कार्रवाई --राज्य सरकार)

कार्य बिंदु संख्या *7*

सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक त्रैमास जुलाई-सितम्बर, 2012 तक के एस0एल0बी0सी0 डाटा (विवरणी 1-48) जाँच कर दिनांक **20 अक्तूबर, 2012** तक अनिवार्य रूप से ई मेल **(agmslbc.zodeh.sbi.co.in)** द्वारा एस0एल0बी0सी0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

(कार्रवाई सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)

**********--------